मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

उच्च शिक्षा विभाग | दिनांक: 20-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1076	तारांकित प्रश्न सं.17 (प्रश्न क्रं.549) दि. 20-07-2017 (श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा)	प्रदेश के महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों को वरिष्ठ श्रेणी एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जाना।	शेष 55 सहायक प्राध्यापकों को वरिष्ठ श्रेणी एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत करने संबंधी कार्यवाही प्रचलित है।		
1077	तारांकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्रं.1570) दि. 20-07-2017 (श्री नारायण सिंह पँवार)	जिला राजगढ़ के सुठालिया नगर में नवीन महाविद्यालय खोला जाना।	नवीन महाविद्यालय खोले जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।		
1078	तारांकित प्रश्न सं.24 (प्रश्न क्रं.675) दि. 20-07-2017 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर जिले में स्वीकृत नवीन गर्ल्स कॉलेज में आवश्यकतानुसार पदों का सृजन किया जाना।	पदों के निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1079	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.18 (प्रश्न क्रं.397) दि. 20-07-2017 (श्री शैलेन्द्र जैन)	शासकीय कन्या महाविद्यालय सागर एवं आर्ट एण्ड कामर्स कॉलेज सागर में शैक्षणिक स्टाफ एवं संसाधनों की कमी की शीघ्र पूर्ति की जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1080	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.30 (प्रश्न क्रं.550) दि. 20-07-2017 (श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा)	देवास जिले के सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत शासकीय महाविद्यालय टोंक खुर्द के अधूरे भवन निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	स्वीकृत हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।		
1081	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.92 (प्रश्न क्रं.1354) दि. 20-07-2017 (श्री दिलीप सिंह शेखावत)	उज्जैन जिले के नागदा नगर में संचालित शासकीय स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय में एम.ए. एवं एम.एस.सी. की कक्षाएँ प्रारम्भ की जाना।	जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1082	अतारांकित प्रश्न सं.47 (प्रश्न क्रं.1008) दि. 20-07-2017 (कुँवर हजारीलाल दांगी)	शासकीय महाविद्यालय, खिलचीपुर जिला राजगढ़ के परिसर में अतिक्रमण एवं सुरक्षा की दृष्टि से बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु स्वीकृति दी जाना।	स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

ऊर्जा विभाग

दिनांक: 20-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1083	ध्यानाकर्षण (सूचना क्र.77) दि. 20-07-2017 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	(1) आगर-मालवा जिले के सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित ट्रांसफार्मरों की लोकेशन कोडवार जानकारी, स्थापित ट्रांसफार्मरों में बंद जले वितरण ट्रांसफामरों के बंद रहने की अवधि व विद्युत बिलों की उपभोक्तावार जानकारी मा. सदस्य को उपलब्ध कराया जाना ।	(1) वांछित जानकारी संकलित की जा रही है, जिसे यथाशीघ्र माननीय विधायक महोदय को उपलब्ध कराया जाएगा । 15 दिन के अंदर इनको पूरा जवाब हम भिजवा देंगे ।		
		(2) 40 प्रतिशत राशि जमा होने पर पंडाना गांव में बिजली प्रदाय नहीं किये जाने की जांच कलेक्टर के माध्यम से कराई जाना ।	(2) हम उसकी जांच करा लेंगे और यदि ये कहेंगे तो हम इनको भी जांच में साथ में रख लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है । इन्होंने जो पड़ाना गॉंव की बात कही है, इसकी मैं जांच करवा लूँगा ।		
		(3) भेसोदा गांव में अटल ज्योति योजना के तहत लोगों द्वारा निजी विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने के बावजूद उन्हें बिजली उपलब्ध नहीं किये जाने की जांच ।	(3) भोपाल से अधिकारी भेजकर हम जांच करा लेंगे ।		
		(4) बंद विद्युत ट्रांसफार्मर के समय अवधि का विद्युत देयक उपभोक्ताओं से न लिया जाना ।	(4) हम जांच करा लेंगे और उसमें यदि यह चीज आएगी तो हम बराबर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

खनिज साधन विभाग

दिनांक: 20-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1084	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.187) दि. 20-07-2017 (श्रीमती अनीता नायक)	मेटल एंड मिनरल्स द्वारा ग्राम सेलवा तहसील जिला बालाघाट में संचालित मेगनीज माइंस का आवंटन एवं संचालन के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	जी हाँ। इसके संबंध में जॉंच की कार्यवाही प्रचलित है।		
1085	अतारांकित प्रश्न सं.99 (प्रश्न क्रं.1507) दि. 20-07-2017 (श्री आर.डी. प्रजापति)	छतरपुर जिले में रेत खदान फत्तेपुर में पानी के नीचे से लिफ्टर लगाकर रेत खनन करने वाले दोषी व्यक्ति/ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जी हाँ । जी हाँ । ग्राम फत्तेपुर में स्वीकृत रेत खदान के ठेकेदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। दिनांक 24.11.2017 को ग्राम बंजारी में जप्त लिफ्टरों के प्रकरण नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु कलेक्टर, पन्ना को पत्र दिनांक 18.05.2017 द्वारा कलेक्टर, छतरपुर द्वारा प्रेषित किया गया है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग

दिनांक: 20-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1086	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.75 (प्रश्न क्रं.1247) दि. 20-07-2017 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	जिला सीहोर की तहसील बुधनी के ग्राम मकोड़िया स्थित सर्वे क्रमांक 68/2 रकबा 5.899 भूमि श्री रामजानकी मंदिर प्रबंधकगण के नाम पर अंकित किये जाने हेतु प्रथम अपर जिला न्यायाधीश नसरूल्लागंज द्वारा प्रबंधकगण/आवेदक पक्ष में दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील शासन हित में विधि विभाग से अनुमति पश्चात् शीघ्र मा. उच्च न्यायालय जबलपुर में की जाना।	कार्यवाही प्रचलित है। तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
1087	अतारांकित प्रश्न सं.62 (प्रश्न क्रं.1142) दि. 20-07-2017 (श्री सुखेन्द्र सिंह)	कलेक्टर जिला रीवा के शिव मंदिर हाटा, गणेशधाम, बरांव, चतुर्भुज मंदिर दुविया चौहना के मन्दिरों का जीर्णोद्वार किया जाना।	प्रस्ताव विचाराधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग दिनांक: 20-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1088	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्र.1647) दि. 20-07-2017 (श्री रामलाल रौतेल)	(1) नगर पालिका धनपुरी जिला शहडोल में दैनिक मस्टर श्रमिकों के पद पर दूसरे क्षेत्र के सम्पन्न परिवार के लोगों की सी.एम.ओ. द्वारा नियम विरूद्ध की गई नियुक्ति की जांच एवं कार्यवाही। (2) लम्बे समय से पदस्थ दोषी सी.एम.ओ. का 7 बार अन्यत्र स्थानान्तरण होने के बावजूद धनपुरी में पदस्थ रहने की जांच एवं कार्यवाही।	(1) हम संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी से जांच करवा लेंगे और जांच की समय-सीमा भी मैं तय कर देती हूँ कि हम 1 महीने में जांच पूरी करायेंगे। साथ ही यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे। (2) उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे और बाकी का मैंने जो कहा है कि इसकी जांच संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी से हम करवाऐंगे।		
1089	तारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्र.1367) दि. 20-07-2017 (श्री अनिल फिरोजिया)	(1) नगर निगम उज्जैन के प्रकाश विभाग की ई-निविदा क्र. 1991 में अनियमितता करने वाले संबंधित अधिकारी के विरूद्ध जांच एवं कार्यवाही। (2) अनियमितता पाये जाने पर तत्कालीन उपयंत्री को निलम्बित करने की कार्यवाही की जाना।	(1) संबंधित तकनीकी अधिकारी को सूचना पत्र जारी किया है और जांच के बाद जो भी आएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे। (2) मैं उनको आश्वासन देना चाहती हूँ कि विभाग किसी भी प्रकार की अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए अनियमितताएं पाये जाने पर हम तत्कालीन उपयंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का और साथ ही साथ संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी से जांच कराने का आदेश देते हैं।		
1090	तारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्र.1624) दि. 20-07-2017 (श्री आरिफ अकील)	नगर पालिका निगम भोपाल के छावनी कब्रिस्तान एवं शांति नगर कब्रिस्तानों के जीर्णोद्धार/विकास/बाउड्रीवाल निर्मित किये जाने हेतु राशि आवंटित की जाना।	वह अनुबंध प्रक्रिया में है तो वह भी जल्दी हो जायेगा।		
1091	तारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्र.1509) दि. 20-07-2017 (श्री अशोक रोहाणी)	विधान सभा क्षेत्र रांझी (जबलपुर) के पेयजल समस्या से ग्रसित वार्डो में अमृत परियोजना की स्वीकृति की पूर्ति की जाना।	क्रियान्वयन किया जा रहा है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1092	तारांकित प्रश्न सं.19 (प्रश्न क्रं.281) दि. 20-07-2017 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	नगर पालिक निगम कटनी के आई.एच.एस. डी.पी. योजना अन्तर्गत निर्मित भवनों के निर्माण एवं आवंटन में की जा रही लापरवाही के उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी/तकनीकी अमला के विरूद्ध जांच एवं कार्यवाही।	(1) प्रकरण में जांच करवाई जाकर विलंब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण किया जा सकेगा। (2) प्रकरण की जांच करायी जा रही है, जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।		
1093	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.8) दि. 20-07-2017 (श्री बाबूलाल गौर)	भोपाल नगर के अयोध्या नगर स्थित सरयू सरोवर में स्टोन पार्क की प्रतिमाओं को शिफ्ट करने हेतु नगर-निगम एवं गृह निर्माण मण्डल द्वारा कार्यवाही की जाना।	स्वीकृति में है।		
1094	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.26 (प्रश्न क्रं.483) दि. 20-07-2017 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	नगर पालिका भिण्ड की भूमि सर्वे क्र. 324 व 325 जैन महावीर कीर्ति स्तम्भ भिण्ड को नगर पालिका भिण्ड द्वारा जैन समुदाय को प्रीमियम एवं लीज रेन्ट पर देने हेतु कार्यवाही की जाना।	(1) कार्यवाही प्रचलन में है। (2) जी हाँ, प्राप्त प्रस्ताव मध्यप्रदेश नगर पालिका अचल संपत्ति (अंतरण) नियम 2016 के प्रकाश में परीक्षणाधीन होकर कार्यवाही प्रचलित है।		
1095	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.37 (प्रश्न क्रं.719) दि. 20-07-2017 (श्री सोहनलाल बाल्मीक)	छिन्दवाड़ा जिले के परासिया विधानसभा क्षेत्र में जलावर्धन योजना के अन्तर्गत न्यूटन पेच नदी पर डेम का निर्माण कार्य में विभागीय अधिकारी व ठेकेदार की सांठगांठ के कारण डेम निर्माण में की गई अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	पत्रों के आधार पर जाँच प्रचलित है।		
1096	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.38 (प्रश्न क्रं.720) दि. 20-07-2017 (श्री सोहनलाल बाल्मीक)	छिन्दवाड़ा जिले के परासिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नगर पंचायत बड़कुही के वार्ड क्रमांक-13 में सड़क निर्माण में की गई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच एवं कार्यवाही की जाना।	(1) जी हाँ, निर्माण कार्य की जाँच प्रचलित है। (2) जाँच कराई जा रही है।		
1097	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.42 (प्रश्न क्रं.849) दि. 20-07-2017 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	सतना जिले के नगर परिषद उचेहरा में बारात घर निर्माण में स्थल विवाद निपटाने हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराया जाकर बारात घर का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना।	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद उचेहरा द्वारा आगामी 15 दिवस में पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण हटाकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।		
1098	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.52 (प्रश्न क्रं.949) दि. 20-07-2017 (श्री अनिल जैन)	जिला टीकमगढ़ की नगर परिषद निवाड़ी में स्टेडियम निर्माण किया जाना।	नगर परिषद निवाड़ी द्वारा अनुबंध की कार्यवाही की जा रही है। अनुबंध उपरांत कार्य प्रारंभ होकर निविदा अनुसार 06 माह में कार्यवाही पूर्ण हो सकेगा।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1099	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.61 (प्रश्न क्रं.1045) दि. 20-07-2017 (श्री रामनिवास रावत)	मुरैना जिले के नगर परिषद विजयपुर में पदस्थ तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं की वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई जाना एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	प्रकरण में संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्वालियर से जाँच कराई जा रही है।		
1100	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.66 (प्रश्न क्रं.1127) दि. 20-07-2017 (श्री सुखेन्द्र सिंह)	रीवा जिले में नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रायवेट ठेकेदारों अन्य एजेन्सियों, फर्म को दी गई शासकीय भूमि की स्वीकृत बिड राशि में से बची राशि को शासन के खाते में जमा कराया जाना।	शेष राशि शासन के खाते में जमा किया जाना हैं।		
1101	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.119 (प्रश्न क्रं.1510) दि. 20-07-2017 (श्री अशोक रोहाणी)	घमापुर से रांझी (जबलपुर) फोर-लेन सड़क निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी द्वारा अनुबंध अनुसार समय सीमा में कार्य पूर्ण कराया जाना।	तकनीकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।		
1102	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.143 (प्रश्न क्रं.1689) दि. 20-07-2017 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	नगर पालिका परिषद महिदपुर जिला उज्जैन में मुख्यमंत्री अधोसंरचना फेस-II एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाना।	द्वितीय चरण के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद महिदपुर द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हाउसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन (HFAPOA) एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डी.पी.आर. तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है।		
1103	अतारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.33) दि. 20-07-2017 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	रतलाम जिले के जावरा में रेलवे फाटक से गांधी चौराहा होटल वादी की एकांकी सड़क निर्माण योजना में लगभग 11 लाख की धनराशि के सामान खरीदी में अनियमितता की जांच में दोषी पाये गये अध्यक्ष व अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	तत्कालीन अध्यक्ष श्री युसूफ कड़प्पा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। श्री आर.पी.मिश्रा तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं श्री विक्रम सिंह तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की जा चुकी है तथा श्री रशीद अहमद सिद्दकी तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण इनके विरूद्ध पेंशन नियमों के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1104	अतारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्रं.287) दि. 20-07-2017 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	कटनी जिले के नगर निगम द्वारा वर्ष 2009-10 में मिशन चौक से बस स्टेण्ड, बस स्टेण्ड से म0प्र0 प्रेस, म0प्र0 प्रेस से कुठला तिराहा तक के कार्य बी.आर.जी.एफ. योजना अन्तर्गत कराये गये मार्ग डामरीकरण एवं अन्य कार्यो की स्वीकृति एवं भुगतान किया जाना।	नियमानुसार कार्यवाही के आदेश के तहत मेयर-इन-कौसिल में प्रकरण निर्णय हेतु आदेश 06.07.2017 द्वारा दिया गया है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1105	अतारांकित प्रश्न सं.29 (प्रश्न क्रं.629) दि. 20-07-2017 (श्री सुखेन्द्र सिंह)	नगरीय निकायों तथा नगरपालिका में कार्यरत राज्यस्तरीय सेवाओं के अधिकारियों/ कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का भुगतान किया जाना।	अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिए जाने के संबंध में विभाग स्तर पर कार्यवाही प्रचलित है।		
1106	अतारांकित प्रश्न सं.97 (प्रश्न क्रं.1496) दि. 20-07-2017 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	नगर पालिक निगम मुरैना में अतिक्रमण हटाया जाकर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाना।	नगर पालिक निगम मुरैना से रजिस्ट्री एवं नामान्तरण संबंधी कार्यवाही निरस्ती के संबंध में आयुक्त, नगर निगम मुरैना से स्पष्टीकरण चाहा गया है।		
1107	अतारांकित प्रश्न सं.133 (प्रश्न क्रं.1709) दि. 20-07-2017 (श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल)	उज्जैन जिले के खाचरौद में गरीब व कमजोर वर्ग के लिये भूमि आरक्षित नहीं किए जाने के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	खाचरौद अनुभाग अंतर्गत छाजेड़ कॉलोनी में कमजोर वर्ग के लिये भूमि आरक्षित नहीं किये जाने से अनुविभागीय अधिकारी खाचरौद द्वारा सूचना-पत्र जारी किया गया है।		

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग | दिनांक: 20-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1108	तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.1390) दि. 20-07-2017 (श्री हरदीप सिंह डंग)	(1) मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत मकड़ावन में कपिल धारा कूप निर्माण में अनियमितता की मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा जांच कराई जाकर दोषियों पर कार्यवाही की जाना। (2) सी.ई.ओ. को निलंबित कर जांच एवं कार्यवाही की जाना। (3) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध जांच एवं कार्यवाही की जाना।	(1) इसमें जांच कमेटी बनी थी उसके निष्कर्षों के बाद यह पाया गया कि इसमें सचिव, रोजगार सहायक और सरपंच सभी की मिलीभगत थी तीन साल पुराना यह मामला है। यदि सरपंच निर्दोष थीं तो अध्यक्ष महोदय, अभी उन्होंने इस महीने क्यों रिपोर्ट की, तीन सालों में क्यों नहीं उन्होंने रिपोर्ट की ? इस कारण से इस तरह से किसी को नहीं बख्शा जा सकता है और मैं कह रहा हूँ कि यदि इसमें सीईओ की गलती पाई गई, सीईओ की इसमें शामिलाती पाई गई तो सीईओ के विरूद्ध भी कार्यवाही करेंगे। इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। यंत्री, उपयंत्री जो भी इसमें शामिल हैं उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। आज ही हम मुख्यालय से अधिकारियों को भेजकर फिर से जांच करवा रहे हैं। (2) निलंबन की कार्यवाही की गई है और ये जालसाजी है, इस कारण से इन सारे दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध धारा-420 के अतिरिक्त जो भी धाराएं इसमें आरोपित हो सकती होंगी, उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। (3) मैंने पहले भी कहा है कि यहां से वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर जांच करा लेंगे और सीईओ ही नहीं, जो भी दोषी होगा, चाहे उससे बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा अधिकारी हो, उस पर भी कार्यवाही की जाएगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1109	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.613) दि. 20-07-2017 (डॉ. गोविन्द सिंह)	(1) भिण्ड जिले के जनपद पंचायत लहार के सी.ई.ओ. द्वारा नियम विरूद्ध रोजगार सहायकों को 40-50 कि.मी. दूर स्थलों के कार्यों का चार्ज सौप कर मनरेगा योजना अन्तर्गत सड़को के निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही की जाना। (2) सहायक यंत्री श्री यादव द्वारा नियत राशि से अधिक की दी गई सड़क निर्माण स्वीकृति की जांच व उस पर कार्यवाही। (3) खुर्द से मड़ैया और मूरतपुरा से लोधियनकापुरा दोनों सड़को के कार्य की जांच एवं कार्यवाही।	(1) परीक्षण करा लेंगे। (2) जो भी माननीय सदस्य कह रहे हैं, इसकी हम जांच करा लेंगे और यदि उसमें कहीं अनियमितता होगी तो हम कार्यवाही भी करेंगे। (3) तो उसकी जांच करा लेंगे।		
1110	तारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.279) दि. 20-07-2017 (श्री विष्णु खत्री)	(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण योजना का सर्वे का कार्य बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में कब से प्रारम्भ किया जाएगा। (2) नायसमन से पसेया को सूदूर सम्पर्क में जोड़ने की कार्यवाही की जाना।	(1) हम शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करके नियम और नॉर्म्स प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पार्ट-2 के होंगे, उनके अंतर्गत हम इनको लेकर जल्दी से जल्दी इसका निराकरण कर लेंगे। (2) इसका परीक्षण करवा लेंगे।		
1111	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.136) दि. 20-07-2017 (श्री हरवंश राठौर)	(1) सागर जिले के विधानसभा क्षेत्र बण्डा में पंचायत सचिवों की विभागीय जांच की जाकर दोषी पाये गये पंचायत सचिवों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना। (2) दोषियों के विरूद्ध जांच पूर्ण कर कार्यवाही की जाना।	(1) 3 सचिवों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई जो प्रचलित है। (2) विभागीय जांच संस्थित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।		
1112	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.140) दि. 20-07-2017 (श्री हरवंश राठौर)	सागर जिले के जनपद पंचायत बण्डा के आडिट में स्वामित्व की 42 दुकानों के आवंटन में गंभीर आपत्तियों की जांच कराई जाना तथा जांच निष्कर्ष के अनुसार कार्यवाही की जाना।	पालन प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन है।		
1113	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.14 (प्रश्न क्रं.262) दि. 20-07-2017 (पं. रमाकान्त तिवारी)	श्री पवन कुमार सिंह सचिव को राशि जमा कराये बिना निलम्बन बहाल कर दिये जाने का कारण व दुबारा निलंबित कर प्रकरण की गंभीरता से जांच कराकर दण्डित किया जाना।	विभागीय जॉंच प्रचलित है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1114	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्र.263) दि. 20-07-2017 (पं. रमाकान्त तिवारी)	रीवा जिला अन्तर्गत विकासखण्ड त्यौंथर एवं जवा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष के लिये प्रस्तावित सड़कों की स्वीकृति दी जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
1115	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्र.438) दि. 20-07-2017 (श्री सुन्दरलाल तिवारी)	रीवा संभाग में संचालित रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों के मजदूरी का भुगतान में विलम्ब किये जाने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाना।	विलंब के लिए जिम्मेदारी नियत कर कार्रवाई करने की व्यवस्था की गई है।		
1116	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.24 (प्रश्न क्र.463) दि. 20-07-2017 (श्री मधु भगत)	बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना अन्तर्गत घटिया निर्माण सहित वित्तीय अनियमितता की शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधीक्षण यंत्री को निरीक्षण करने के निर्देश दे दिए गए है।		
1117	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.28 (प्रश्न क्र.521) दि. 20-07-2017 (डॉ. रामकिशोर दोगने)	देवास जिले की ग्राम पंचायत हीरापुर ग्राम दोंगलापानी खल मेहदूल तहसील सतवास में पदस्थ सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार किये जाने की शिकायत पर जांच शीघ्र पूर्ण कर कार्यवाही की जाना।	विभागीय जांच संस्थित की गई है।		
1118	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.53 (प्रश्न क्र.967) दि. 20-07-2017 (कुँवर सौरभ सिंह)	कटनी जिला अन्तर्गत जनपद पंचायत रीठी में पंचायत सचिवों (शासकीय सेवकों) की सैलरी पंच परमेश्वर एवं अन्य योजना के खाते से दिया जाकर ग्रामीण जनता के उपयोग की राशि का दुरूपयोग एवं अनियमित व्यय करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	वित्तीय अनियमितता के लिए श्री श्याम किशोर मालवीय (एस.के. मालवीय) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रीठी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही दिनांक 12.07.2017 को संस्थित की गई है।		
1119	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.62 (प्रश्न क्र.1046) दि. 20-07-2017 (श्री रामनिवास रावत)	जिला श्योपुर की ग्राम पंचायत काठोन में शासकीय राशि के अपव्यय एवं कार्यों में अनियमितताओं के संबंध में तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध धारा 92 के तहत रिकवरी निर्धारित कर वसूली की कार्यवाही की जाना।	कार्यों के मूल्यांकन का कार्य प्रचलन में है।		
1120	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.103 (प्रश्न क्र.1391) दि. 20-07-2017 (श्री हरदीप सिंह डंग)	मन्दसौर जिला अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सुवासरा में रोक के बावजूद ग्राम पंचायत सेमली कांकड को सुदूर सड़क योजना के तहत निर्माण की स्वीकृति दिये जाने की जांच व उस पर कार्यवाही की जाना।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंदसौर को स्थल निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिये गये हैं।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1121	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.115 (प्रश्न क्रं.1493) दि. 20-07-2017 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	मा. सदस्य के परि.अता.प्र.क्र. 3218 दिनांक 07.03.2017 के उत्तर अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कैलारस जिला मुरैना के पदाधिकारी एवं अधिकारी प्रथम दृष्टया अनियमितताओं में लिप्त पाये जाने के आधार पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाना।	(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कैलारस जिला मुरैना के विरूद्ध आयुक्त चम्बल संभाग के कार्यालयीन आदेश क्रं./3459 दिनांक 16.05.2017 से विभागीय जांच संस्थित की गई है। (2) विभागीय जॉंच के प्रकरण में जॉंचोपरांत समुचित निर्णय लिया जाएगा।		
1122	अतारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.151) दि. 20-07-2017 (श्री हरवंश राठौर)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत खायला से सांदागिर रोड का मरम्मत कार्य किया जाना।	प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है।		
1123	अतारांकित प्रश्न सं.95 (प्रश्न क्रं.1484) दि. 20-07-2017 (पं. रमेश दुबे)	होशंगाबाद जनपद पंचायत अतंर्गत सहायक ग्रेड-3 के श्री विजय मेहतो के विरूद्ध जांच एवं कार्यवाही।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।		
1124	अतारांकित प्रश्न सं.108 (प्रश्न क्रं.1571) दि. 20-07-2017 (श्री नारायण सिंह पँवार)	राजगढ़ जिले के ग्राम मउ में सामुदायिक भवन निर्माण एवं विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अन्तर्गत निस्तारी नाला एवं स्थानीय नालों पर पुल/पुलियों का निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति एवं राशि का आवंटन किया जाना।	माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा की पूर्ति का पालन करने के लिए विभाग यथाशीघ्र पूर्ति करने हेतु आबद्ध है।		
1125	अतारांकित प्रश्न सं.114 (प्रश्न क्रं.1596) दि. 20-07-2017 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले के जावरा विधानसभा क्षेत्र के जावरा एवं पिपलौदा विकासखण्ड में विभागीय अपूर्ण रहे एवं अप्रारम्भ कार्यों को पूर्ण कराया जाना।	जी हॉं। राज्य स्तर से अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर तथा मजदूरी की मॉंग अधिक होने पर अप्रारम्भ कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ कराने के निर्देश जारी किया गया है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

राजस्व विभाग

दिनांक: 20-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1126	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.84) दि. 20-07-2017 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	(1) बालाघाट जिले में बटॉंकन कार्य हेतु कम्प्यूटराईज्ड सिस्टम बेव जी.आई.एस. में आ रही दिक्कतों के कारण इस सिस्टम को बंद किया जाना। (2) बालाघाट जिले का बंदोबस्त कार्य कराया जाना। (3) पूरे प्रदेश में नक्शे का माप बढ़ाने के लिये आदेश जारी किया जाना। (4) दमोह में जी.आई.एस. सिस्टम लागू न होने के कारण वहां उसको बंद करवा कर एन.आई.सी. सिस्टम चालू किया जाना।	(1) जीआईएस में, जो आपने कहा है, उसकी जहाँ विसंगतियाँ हैं, उनको हम दूर कर रहे हैं और जिन जिलों में ज्यादा दिक्कत है और वहाँ से रिपोर्ट आ रही है, वहाँ उनका काम बन्द करके जो एनआईसी है, उसी को हम काम दे रहे हैं और उसका पूरा परीक्षण कर रहे हैं। अगर वह सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो हम उस सिस्टम को खतम कर देंगे। कुछ नया सिस्टम लागू करेंगे। (2) हम इस पर विचार करके इसको कैसे शुरू कर सकते हैं, जरूर करेंगे। (3) हम इसकी योजना बनाकर पूरे प्रदेश में बंदोबस्त का कार्यक्रम कैसे चला सकते हैं, इसको अभियान के रूप में चलाएंगे। (4) जिन भी जिलों से ऐसी शिकायत आ रही हैं और कलेक्टर लिख रहे हैं वहाँ हम उस सिस्टम की जगह एनआईसी सिस्टम को लागू कर रहे हैं अगर दमोह से शिकायत आएगी तो वहाँ भी करेंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2017 सत्र में दिये गये आश्वासन

वन विभाग

दिनांक: 20-07-2017

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1127	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.44 (प्रश्न क्र.858) दि. 20-07-2017 (श्री लाखन सिंह यादव)	ग्वालियर जिले के वन क्षेत्रों में किये गये वृक्षारोपण में पौधे नष्ट होने के जिम्मेदार अधिकारी/ कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाना।	जिन क्षेत्रों में अन्य कारणों से पौधे नष्ट हुये हैं उनमें जिम्मेदार पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।		
1128	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.141 (प्रश्न क्र.1671) दि. 20-07-2017 (श्री हर्ष यादव)	सागर जिले में एन.एच. 26 फोर-लाईन सड़क के दोनो ओर किये गये पौधारोपण कार्य में गुणवत्ताहीन पौधे लगाने, फैंसिंग जाली लगाने के घटिया कार्य कराने, देख-रेख का अभाव व अनियमितता पूर्ण कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी की जांच पूर्ण कर दोषियों को दंडित किया जाना।	उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है। विस्तृत जाँच पूर्ण होने के उपरांत गुण-दोष के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जावेगी।		
1129	अतारांकित प्रश्न सं.54 (प्रश्न क्र.1042) दि. 20-07-2017 (श्री जितेन्द्र गेहलोत)	केन्द्र शासन के निर्देशानुसार प्रदेश सरकार को पेंच, कान्हा एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टाईगर स्ट्राइक फोर्स गठित किया जाना।	टाइगर रिजर्वस के लिये टाइगर स्ट्राइक फोर्स के गठन की कार्यवाही विचाराधीन है।		
1130	अतारांकित प्रश्न सं.131 (प्रश्न क्र.1701) दि. 20-07-2017 (श्रीमती अनीता नायक)	(1) जिला टीकमगढ़ के ओरछा रेंज की सब रेन्ज कोठी गुलेदा में रिर्जन जंगल में भू-माफिया द्वारा किये गये जमीन अतिक्रमण को अतिक्रमण कारियों से मुक्त कराकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाना। (2) कम्पाउन्ड नम्बर 157 एवं 158 रिर्जन वन क्षेत्र को कब्जाधारियों से मुक्त कराया जाना।	(1) शेष 24 अतिक्रामक के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन में है। (2) कार्यवाही प्रचलन में है।		